



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक-206 / 10 अधिप्राप्ति / 2023

दिनांक-17/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2200 / 111(2) / 22-17 (सामान्य) 2008 दिनांक-17 जून 2022 के द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-173/10अधि प्राप्ति/2023 दिनांक 06.02.2026 द्वारा हेतु शिड्यूल आफ रेट्स जारी किया गया था। जिस पर जनपद उत्तरकाशी चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत के शैड्यूल ऑफ रेट्स के निम्न सामग्री की दरों एवं सामग्री संशोधित कर ड्राफ्ट एस0ओ0 आर0 दिनांक- 06.02.2026 को प्रकाशित की गयी जिसमें दिनांक-14.02.2026 तक प्रकाशित ड्राफ्ट एस0ओ0आर0 में सुझाव एवं आपत्ति व्यक्त किये जाने की अवधि निर्धारित की गयी थी। जनपद पौड़ी एवं उत्तरकाशी हेतु **PM0086**(Granular material (Natural occurring, soil gravel mixture) वृत्तीय कार्यालय 6वाँ वृत्त उत्तरकाशी एवं 12 वाँ वृत्त पौड़ी द्वारा स्रोत से दूरी परिवर्तित कर प्रेषित की गयी। अन्य किसी भी प्रकार का सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः उपरोक्तानुसार जनपद पौड़ी एवं उत्तरकाशी हेतु सामग्री **PM0086**(Granular material (Natural occurring, soil gravel mixture) की स्रोत से दूरी परिवर्तित कर जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत हेतु निम्न सामग्री की अद्यतन दरों एवं स्रोत से दूरी के आधार पर एतद्वारा संशोधित दर अनुसूची जारी की जाती है।

(1)-जनपद उत्तरकाशी हेतु- (Only Lead Material)

- 1-**PM0021**(Aggregate-Grading-I(90 mm to 45 mm)
- 2-**PM0022**(Aggregate-Grading II 63 mm to 45 mm)
- 3-**PM0023**(Aggregate-GradingIII 53 mm to 22.4 mm)
- 4-**PM0134&PM0135**(Stone for Coarse Rubble Masonry)
- 5-**PM0136**(Stone for Random Rubble Masonry)
- 6-**PM0085** (Graded stone aggregate)
- 7-**PM0086**(Granular material (Natural occurring, soil gravel mixture)
- 8-**PM0087**(Hand Broken Metal 40 mm size)
- 9-**PM0162** (Boulder with minimum size of 300 mm for Pitching at Site)
- 10-**PM2253 to PM2261**(Well graded gravel/Soil aggregate base material of different Grading)

(2) जनपद पौड़ी-(Lead and Basic Rate Of Material)

- 1-**PM0021**(Aggregate-Grading-I(90 mm to 45 mm)
 - 2-**PM0022**(Aggregate-Grading II 63 mm to 45 mm)
 - 3-**PM0023**(Aggregate-GradingIII 53 mm to 22.4 mm)
- (Only Lead)
- 4-**PM0134&PM0135**(Stone for Coarse Rubble Masonry)
 - 5-**PM0136**(Stone for Random Rubble Masonry)
 - 6- **PM0086**(Granular material (Natural occurring, soil gravel mixture)

L

(Handwritten signature)

(ब) लो0नि0वि0 वृत्तीय कार्यालय गोपेश्वर द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग हेतु सामग्री PM0023(Aggregate-GradingIII 53 mm to 22.4 mm) की दरों को संशोधित कर दिया गया।

(स) जनपद पौड़ी पिथौरागढ़ चम्पावत, अल्मोड़ा में सामग्री PM0021(Aggregate-Grading-I (90 mm to 45 mm), PM0022(Aggregate-Grading II 63 mm to 45 mm), PM0023(Aggregate-GradingIII 53 mm to 22.4 mm) की दरें समान होने के कारण लो0नि0वि0, वृत्तीय कार्यालय अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ से प्राप्त आख्या के आधार पर PM0021, PM0022 एवं PM0023 की दरों को संशोधित कर दिया गया।

शेष जनपदों हेतु दिनांक 30.10.2024 को जारी शैड्यूल ऑफ रेट्स यथावत रहेगा।

उक्त आदेश दिनांक 17.02.2026 से तत्काल प्रभावी होंगे।

हा
(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, (क्षेत्रीय) लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
8. मुख्य अभियन्ता रा0मा0/ए0डी0बी0/बल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई/वि0/याँ0 लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि जारी एस0ओ0आर0 में आ रही भिन्नता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचनाओं एवं विधि सम्मत मन्तव्य एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आ0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
14. प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
15. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
16. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,सिविल एवं वि0/याँ0 लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. समस्त वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
18. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0),विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून, को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. अधिशासी अभियन्ता(क्वालिटी कान्ट्रोल) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. अधिशासी अभियन्ता,टी0ए0सी0,वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
21. प्राविधिक वर्ग,विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0 देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
हा